न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
भू–हदबन्दी 16(III)संख्या–51/09–10
राम नन्दन यादव बनाम भागवत मंडल

आदेश की क्रम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
18/02/15	आदेश अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदक राम नन्दन यादव, पे0–मुंगा लाल यादव, ग्राम–जगदीशपुर, पो0– कहुआ, थाना+अंचल–बिरौल, जिला–दरभंगा की ओर से वकालतनामा के साथ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल द्वारा भू–हदबन्दी की धारा–16 (III) के अन्तर्गत वाद संख्या–11/08–09 भागवत मंडल बनाम राम नन्दन यादव में दिनांक–05.10.2009 को पारित आदेश के विरूद्ध वाद आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन को प्रतिग्रहित कर निम्न न्यायालय के अभिलेख की मॉग करते हुए प्रतिपक्षी के सदस्यों को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल के द्वारा पत्रांक–935 दिनांक–23.12.11 से निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। विपक्षी के सदस्यों के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिस पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तार पूर्वक सुना। आवेदक (अपीलकर्त्ता) के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी के सदस्यों द्वारा निबंधित केवाला संख्या–56057 दिनांक–28.06.08 में सन्निहित भूमि के समासन्न रैयत होने का दावा के आधार पर भू–हदबन्दी की धारा–16 (III) के अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल के न्यायालय में वाद संख्या–11/08–09 दायर किया गया। उनका यह भी कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल द्वारा वाद संख्या–11/08–09 में आवेदक को सूचना का तामिला नही कराया गया। सूचना को विधि सम्मत तरीका से तामिला कराये बिना ही भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल द्वारा आदेश पारित कर दिया गया जिसमें आवेदक अपना पक्ष रखने से वंचित रहा। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल के द्वारा दिनांक–05.10.2009 को पारित आदेश से विपक्षी के पक्ष में भू–हदबन्दी की धारा–16 (III) के अन्तर्गत समासन्न रैयत मानते हुए आदेश पारित किया जिससे आवेदक को काफी आर्थिक रूप से क्षति हुई है। उनका यह भी कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल द्वारा गलत ढ़ंग से निर्धारित किया गया है कि विपक्षी प्रश्नगत जमीन के दक्षिण एवं पश्चिम क्षेत्र में निकटवर्त्ती रैयत है, जिसके आधार पर दावा को	

स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को आदेशित किया गया है। आवेदक को सूचना तामिला की प्रक्रिया जो न्यायालय द्वारा अपनायी गयी है। वही विधि विरूद्ध है। निम्न न्यायालय के समक्ष विपक्षी द्वारा समासन्न रैयत हेतु गलत प्रमाणों के आधार दावा किया गया, जिसके आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा दाखिल वाद आवेदन न्याय की दृष्टि में चलने योग्य नही है। उनका यह भी कहना है कि विपक्षी संख्या–02 के पारिवारिक वंशवृक्ष दाखिल किया गया है। पुराना खेसरा संख्या–1117 से 1122 के खतियानी रैयत विपक्षी संख्या–02 के पूर्वज थे। पुनरीक्षित सर्वे खतियान में खाता संख्या–536 खेसरा–1890, 1829 एवं 1830 लालन ठाकुर, दुखमोचन ठाकुर, सत्य नारायण ठाकुर, आनन्त ठाकुर, जामुन ठाकुर, योगेन्द्र ठाकुर, उपेन्द्र ठाकुर (विपक्षी संख्या–02 के पिता) एवं राजेन्द्र ठाकुर के नाम से बना है। विपक्षी संख्या–02 निबंधित केवाला दिनांक–28.06.2008 से नया खेसरा संख्या–1890, 1829 एवं 1830 की कुल 4 कट्ठा दो फसला भूमि अपीलकर्त्ता एवं विपक्षी संख्या–02 की जमीन होना गलत ढंग से अंकित किया गया है, जो विपक्षी संख्या–01 के समासन्न रैयत के दावे को विफल करने के उद्देश्य से की गयी है। विपक्षी संख्या–01 की भूमि प्रश्नगत भूमि के दक्षिण एवं पूरब चौहदी में है, जिस पर उनके द्वारा खेती की जाती है। जिस कारण उन्होने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल को समासन्न रैयत घोषित करने के लिए निर्धारित मूल्य 40,000.00 रूपये के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत कुल–44,000.00 रूपये चलान संख्या–69 दिनांक–23.09.2008 जमा करते हुए आवेदन की एक प्रति निबंधित डाक से अपीलकर्त्ता के पते पर भेजा गया था। सूचना भेजे जाने के बावजूद भी अपीलकर्त्ता एवं विपक्षी संख्या–02 न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नही रखे जिस कारण निम्न न्यायालय द्वारा एक पक्षीय सुनवाई करते हुए दिनांक–05.10.09 को पारित आदेश से विपक्षी संख्या–01 का समासन्न रैयत मानते हुए आदेश पारित किया गया। विपक्षी द्वारा सूचना तामिला सभी वैधिक प्रक्रिया पुरी किये जाने के कारण भू–हदबन्दी की नियम–19 में निहित प्रावधान का उल्लंघन नही किया गया है। विपक्षी द्वारा वाद आवेदन की प्रति अपीलकर्त्ता को निबंधित डका से उनके पते पर भेजी गयी थी जिसकी सम्पूर्ण जानकारी अपीलार्थी को थी जिस कारण उनका यह दावा विल्कुल ही गलत है कि उन्हे सूचना का तामिला नही कराया गया है। अपीलार्थी का यह कहना बिल्कुल ही गलत है कि प्रश्नगत भूमि के पूर्वी चौहदी में अपीलार्थी का जमीन है। विपक्षी के दावे को विफल करने के उद्देश्य से विपक्षी संख्या–02 को मेल में लाकर गलत ढ़ंग से

केवाला में अंकित कराये है, जो सत्य से परे है। पुनरीक्षित सर्वे नक्शा को देखने से स्वतः स्पष्ट होगा कि खेसरा संख्या–1890 के पुरव खेसरा संख्या–1929 एवं 1930 है। अपीलकर्त्ता का कोई भी जमीन केवाला की गयी भूमि के चौहदी में नही है। आवेदक द्वारा आवेदन स्वीकार योग्य नही है, जिस कारण वाद आवेदन को खारिज करने का अनुरोध करते है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक–05.10.09 को पारित आदेश एकपक्षीय है जिसमें विपक्षी की ओर से कोई सुनवाई नही की गयी है। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को सूचना का तामिला विधि प्रक्रिया से नही कराया गया, जिस कारण अपीलार्थी को निम्न न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर नही मिल पाया।

अतएव भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल द्वारा भू–हदबन्दी वाद संख्या–11/08–09 भागवत मंडल बनाम राम नन्दन यादव में दिनांक–05.10.09 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाद के पक्षकारो को विधिवत सूचना तामिलोपरांत सुनवाई कर तीन माह के अंदर विधि सम्मत आदेश पारित करेंगे।

आदेश की प्रतिलिपि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

उपरोक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

18/3/15

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।